



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940
No. 82] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/PHALGUNA 10, 1940

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ जैसे पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्मिकों की नियुक्ति के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और न्यूनतम अर्हताएं तथा तकनीकी शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपायों पर अभातशिप (डिग्री) विनियम, 2019

फा. सं. 61-1/आरआईएफडी/7वां सीपीसी/2016-17.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10(छ), (ज) और (झ) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार द्वारा सं. 1-37/2016-टीएस II दिनांक 18 जनवरी 2019 और पश्चात्पूर्वी समसंख्यक पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2019 और 12 फरवरी, 2019 द्वारा दिए गए अनुमोदन के पश्चात्, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :

1.0 संक्षिप्त नाम, प्रयोजनीयता और प्रारंभ :

1.1 संक्षिप्त नाम :

इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ जैसे पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्मिकों की नियुक्ति के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और न्यूनतम अर्हताएं तथा तकनीकी शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपाय-(डिग्री) विनियम, 2019 है।

1.2 उन संस्थाओं की श्रेणी जिन पर विनियम लागू होते हैं

ये ऐसी प्रत्येक डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्था और विश्वविद्यालय जिसमें मानित विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, पर लागू होंगे जो तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तथा अभातशिप द्वारा अनुमोदित अन्य पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों और परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित विषय-क्षेत्रों को संचालित कर रहे हैं।

1.3 प्रभावी होने की तारीख :

क) वेतन मान और महंगाई भत्ता (डी.ए.) : संशोधित वेतन-मान दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होंगे।

ख) अन्य भत्ते : भत्ते जैसे अवकाश यात्रा रियायत, विशेष प्रतिकर भत्ता, बालक शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, गृह निर्माण भत्ता, यात्रा भत्ता आदि उस तारीख से लागू होंगे जैसा केंद्रीय सरकार/संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

ii For Promotion of Incumbents

- a. Ph.D. degree in relevant field and First class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch.

AND

- b. Should have completed minimum training requirements as per Annexure – III.

AND

- c. Should have satisfied any one of the below mentioned set of requirements.

Set No.	To have acquired in the cadre of Assistant Professor (Selection Grade).		
	Experience (Years)	Research publications in SCI journals UGC AICTE approved list of journals	Avg. 360° feedback score (out of 10)
1	3	2	5 to < 8
2	3	1	8 to 10

(d) Qualifications for Professor (Level – 14, Entry Pay 144200/-)**(i) Direct Recruitment**

- a. Ph.D. degree in relevant field and First class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch.

AND

- b. Minimum of 10 years of experience in teaching / research / industry out of which at least 3 years shall be at a post equivalent to that of an Associate Professor.

AND

- c. At least 6 research publications at the level of Associate Professor in SCI journals / UGC / AICTE approved list of journals and at least 2 successful Ph.D. guided as Supervisor / Co-supervisor till the date of eligibility of promotion.

OR

At least 10 research publications at the level of Associate Professor in SCI journals / UGC / AICTE approved list of journals till the date of eligibility of promotion.

(ii) For Promotion of the Incumbents

- a. Ph.D. degree in relevant field and First Class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch.

AND

- b. Should have satisfied any one of the below mentioned set of requirements.

Set No.	Ph.D. guided	Total Experience (Years)	To have acquired in the cadre of Associate Professor.		
			Experience (Years)	Research publications in SCI journals /UGC / AICTE approved list of journals	Avg. 360° feedback score (out of 10)
1	1	15	3	6	8 to 10
2	2	15	3	6	5 to < 8
3	-	16	3	4	8 to 10